अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-132/2011

मधुसुदन बिन्द एवं अन्य ..... अपीलार्थीगण

बनाम

उमेश कुमार बिंद.....विपक्षी

आदेश

04-10-2014

यह अपील वाद, अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-15/2011 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2011 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

2. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के आदेश एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।

3. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन संक्षेप में निम्न है कि विवादित भूमि खाता संख्या-294 नया खेसरा संख्या-2259 नया रकवा 20 डिसमील मौजा आगर थाना-सिमरी बख्तियापुर जिला सहरसा में स्थित है, जिसका पुराना खाता संख्या 211 पुराना खेसरा संख्या 1578/1406 रकवा 13 कट्ठा 10 धुर केडेस्ट्रल सर्वे खतियान बेहशपत गोप , बालगोविंद गोप एवं अच्छे गोप के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि बेहशपत गोप के हिस्से में आया, जो अपने पुत्र राजेन्द्र गोप को छोड़कर मर गये। उक्त भूमि राजेन्द्र गोप के दखल कब्जा में आया, जिन्होने उक्त भूमि बजाप्ता निबंधित केबाला संख्या 4781 दिनांक 15.07.1966 द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता सुखदेव बेलदार को बिक्री कर दिया। सुखदेव बेलदार दखलकार हुए एवं जमाबंदी संख्या 908 कायम हुआ निबंधित केवाला संख्या 8488 दिनांक 20.08.1999 द्वारा वालगोविंद एवं अच्छे गोप के वारिसान से राम खेलावन सादा एवं अन्य को हासिल हुआ जिससे अपीलाकर्त्ता संख्या-2, खुशीलाल बिन्द एवं अपीलकर्त्ता संख्या-3 निरंजन बिन्द को 8 कट्ठा एवं 2 धुर हासिल किये विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि हाल सर्वे में गलती से उक्त विवादित भूमि मलहु बिन्द के नाम से दर्ज हो गया जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही अपीलकर्त्ता के पिता सुखदेव बेलदार बिन्द द्वारा बाद संख्या-1394/85 अन्दर दफा 106 बी0टी0 एक्ट के तहत दाखिल

किया गया, जिसमें उनके पक्ष में आदेश दिनांक 17.07.2007 एवं डिग्री दिनांक 30.07.2007 को हुआ। इस आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई वाद दाखिल नही किया गया, बाल्के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियापुर के न्यायालय में वाद संख्या-15/2011 दाखिल किया गया। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में दावा किया गया कि मलहु बिन्द के मृत्यु उपरान्त उनके एक भाग पुत्र भुवनेश्वर बिन्द द्वारा केवाला संख्या 2322 दिनांक 20.02.2010 से विपक्षी को विक्री किये भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2011 में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलकर्त्ता को बेदखल करने एवं विपक्षी का दखल कब्जा एवं अधिकार को सम्पुष्ट करने का आदेश दिया गया, जो सही नही है। साथ ही चालू खतियान में तरमीम की प्रविष्टि राजस्व पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2012 में किया गया है, जो प्रासंगिक नहीं है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि बी0टी0एक्ट के दफा 106 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध रिभीजन सुनने का अधिकार दफा 108 के विरूद्ध समाहर्त्ता को है जबतक समाहर्त्ता था Title Suit से निरस्त नही हो जाता है, अपीलकर्त्ता को हक विवादित भूमि पर है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर है, जो सही नही है एवं निरस्त करने योग्य है।

दूसरी ओर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि खतियानी रैयत मलहु बिन्द के मृत्यु उपरान्त उनके एक मात्र पुत्र भुवनेश्वर बिन्द द्वारा केवाला संख्या 2322 दिनांक 20.02.2010 से विवादित भूमि उन्हे प्राप्त है। जिसका जमाबंदी संख्या-678 है और दखलकार है तथा उन्हे वर्ष 2013-14 तक लगान रसीद प्राप्त है। अपीलकर्त्ता का विवादित भूमि पर दावा गलत है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 04.05.2011 को ब्यान दर्ज कराया गया कि विवादित भूमि उनके लड़के के नाम से केवाला संख्या 8488 दिनांक 20.08.99 वाजपता राम खेलावन सादा वर्गेरह से प्राप्त है। केवाला संख्या 8488 दिनांक 20.08.99 में अंकित है कि उक्त भूमि केवाला संख्या 8805 दिनांक 18.04.1975 से दाखिल है। जबकि केवाला संख्या 8805 से स्पष्ट है कि खाता संख्या 211 खेसरा संख्या 1578 में 4 कट्ठा 10 धुर भूमि रामखेलावन सादा को प्राप्त है तो अपीलकर्त्ता केवाला संख्या 8488 दिनांक 20.08.99 से 8 कट्ठा 2 धुर कैसे प्राप्त किये। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता का दावा है कि उनके दादा सुखदेव बेलदार/ बिन्द ने दिनांक 15.07.1966 से केवाला खरीदगी के बाद बी0टी0एक्ट वाद संख्या 1394/85 दाखिल किया, जिसमें दिनांक 17.07.2007 को आदेश पारित हुआ, जबकि मलहु बिन्द की मृत्यु दिनांक 15.12.1989 को ही हो गया तो मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करना Nullity है सी0पी0सी0पेज- 63 उड़ीसा उच्च न्यायालय उदाहरणीय है।

विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि वी0टी0एक्त के वाद संख्या-1394/85 पारित आदेश दिनांक 17.07.2007 के विरूद्ध विपक्षी द्वारा भू-बन्दोबस्त पदाधिकारी-सह-समाहर्त्ता सहरसा के न्यायालय में रिभीजन वाद संख्या-54/2011 लंबित

है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का आदेश सही है एवं अपीलकर्त्ता का अपीलवाद खारिज योग्य है।

उभय पक्षों के दलीलों को सुनने एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के गहन समीक्षोंपरान्त परिलक्षित होता है कि दोनो पक्ष अपने निबंधित दस्तावेज/केवाला के आधार पर विवादित भूमि पर दावा करते है। समर्थन में अपीलकर्त्ता द्वारा गलत कागजात दाखिल किया गया है। जहाँतक निम्न न्यायालय के आदेश का प्रश्न है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर ने अपने आदेश दिनांक 12.09.2011 में पाया कि खाता संख्या-294 का विवादित खेसरा है, जो हाल सर्वे में खतियानी रैयत की जगह मलहु बिन्द के नाम इन्द्राज हो गया एवं खतियान का प्रकाशन अप्रैल 1985 में हुआ। केवाला के लेख्यकारी द्वारा कोई बाद रिभीजनल सर्वे कम में ना लाकर वी0टी0एक्ट की धारा 106 के तहत वाद संख्या 1394/85 दाखिल करना सही नही है। उभय पक्षो द्वारा रिभीजनल सर्वे में खाता संख्या-294 मलहु बिन्द खतियानी रैयत को इन्द्राज स्वीकार किया गया है जिसके एक मात्र पुत्र भुनेश्वर बिन्द द्वारा विपक्षी को निबंधित दस्तावेज संख्या 2322 दिनांक 20.02.2010 द्वारा विवादित भूमि प्राप्त है तथा जमाबन्दी संख्या 578 कायम है जिसका मालगुजारी रसीद विपक्षी के नाम से निर्गत है। इसके अतिरिक्त वी0टी0एक्ट वाद संख्या 1394/85 में दिनांक 17.07.2007 को मलहु बिन्द के विरूद्ध आदेश पारित हुआ, जबकि मलहु बिन्द की मृत्यु पूर्व में ही 15.12.1989 को हो चुकी है। अतः यह आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा विपक्षी का विवादित भूमि पर दावा सही पाया गया जिससे मैं सहमत हूँ। इसके अतिरिक्त विपक्षी दाखिल लिखित बहस दिनांक 04.10.2014 के काण्डिका-7 में स्वीकार किया गया है कि वी0टी0एक्ट वाद संख्या 1394/84 में पारित आदेश के विरूद्ध भू-बन्दोवस्त पदाधिकारी-सह-समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में रिभिजन वाद संख्या-54/2011 दाखिल किया गया है, जो विचारणीय है।

उपरोक्त परिपेक्षय में अपीलकर्त्ता के अपीलवाद को खारिज (Reject) किया जाता है तथा निम्न न्यायालय के आदेश को यथावत रखा जाता है। तदनुसार उभय पक्षों को सूचित करें। वाद की कार्यवाई निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा